संख्याः–1036/स. क./03–424(समाज कल्याण)/02

(76)

प्रेषक, [redacted]

आर. के. वर्मा
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.
उत्तरांचल देहरादून

समाज कल्याण अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल, 2003

विषयः **उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. के जनपदीय कार्यालयों की स्थापना एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 613/बहु.नि.अधि./2002–03 दिनांक 18–10–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. के संरचनात्मक ढाँचे के गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 288/कल्याण/2001 दिनांक 06 अप्रैल 2002 जिसके द्वारा निगम के प्रदेश मुख्यालय स्तर के कार्यालय की स्थापना तथा पदों का सृजन किया गया था, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. के जनपदीय कार्यालयों की स्थापना एवं पदों का सृजन निम्न विवरणानुसार उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में अस्थाई पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो, वशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, से दिनांक 29–[illegible]–2004 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क. सं.	पदनाम	वेतनमान	प्रत्येक जनपद के लिए अनुमन्य पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	सहायक प्रबन्धक	5000–150–8000	1	13
2	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	1	13
3	कनिष्ठ लिपिक	3050–75–4590	1	13
4	वसूली सहायक	3050–75–4590	1	13
5	चपरासी/पत्रवाहक	2550–55–3200	1	13
6	चौकीदार कम स्वच्छक	2550–55–3200	1	13
		योगः–	6	78

2 जिला समाज कल्याण अधिकारी ही प्रत्येक जनपद के सम्बन्धित निगम कार्यालय का पदेन जिला प्रबन्धक होगा।

3 जनपद देहरादून, पौडी एवं नैनीताल में पूर्व से संचालित बढ़ई एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण केन्द्रों को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है। इन केन्द्रो में कार्यरत स्टाफ को जनपदों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाय तथा कार्यालय फर्नीचर एवं अन्य उपकरण जनपदीय कार्यालयों में स्थानान्तरित कर दिये जायें।

4 उक्त केन्द्रों में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को उनके वेतनमान के अनुसार जनपदों हेतु स्वीकृत पदों में यथावश्यकतानुसार समायोजित किया जाय।

5 पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से निगम के जनपदीय कार्यालयों में स्वीकृत आशुलिपिक के पदों को समाप्तोन्मुखी संवर्ग (Dieing Cader) घोषित किया जाता है ये पद पूर्व से कार्यरत आशुलिपिकों की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतः समाप्त समझे जायेगें।

134
01/5/03

क्रमशः 2

75

6 उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार ही की जायेगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इन्हें बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 56 वि. अनु–2/03 दिनांक 23 अप्रैल 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः 1036(1)/स.क./03–424(समाज कल्याण)/02 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून
2 निदेशक कोषागार, उत्तरांचल देहरादून
3 निदशक समाज कल्याण उत्तरांचल देहरादून
4 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल
5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल
6 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरांचल
7 वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन
8 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनु सचिव